upload on website

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ.8(2) (11)निर्वा/2013/2982 जयपुर, दिनांक 15-07-2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स), राजस्थान।

विषय : निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज की जांच हेतु कमेटियों के गठन बाबत।

संदर्भ : इस विभाग के पत्रांक प.8(2)(6)/निर्वा/2008/3278 दिनांक 05.09.2012, 3745/15.10.2012 एवं 3964/07.11.2012 तथा भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 491/पेड न्यूज/2012/मीडिया दिनांक 27.08.2012, 9.10.2012 एवं 15.10.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि निर्वाचन के दौरान प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में पेड न्यूज की मोनिटरिंग एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया/आकाशवाणी एवं रेडियो पर प्रसारण हेतु राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण हेतु जिला स्तरीय Media Certification and Monitoring Committee (MCMC) के गठन एवं इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों की प्रतियॉ विभाग के प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपको प्रेषित की गई है।

आयोग के पत्र दिनांक 27.08.2012 के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिला स्तर पर निम्नानुसार कमेटी को गठन किया जाना है:–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर
2. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त कोई एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
3. केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अधिकारी (यदि जिले में उपलब्ध हो)
4. स्वतंत्र वरिष्ठ नागरिक / वरिष्ठ पत्रकार
5. जिला जन सम्पर्क अधिकारी

यदि क्रम संख्या 3 पर वर्णित अधिकारी जिले में उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वरीयता क्रम में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है।

उक्त कमेटी के द्वारा पेड न्यूज की मोनिटरिंग एवं समीक्षा की जाएगी। परन्तु केबल नेटवर्क/ टेलीवीजन चैनल/ रेडियो पर प्रसारण हेतु राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण हेतु चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा व्यक्तिगत आवेदन पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.04.2004 के अनुसार उसके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जहॉ से वह प्रत्याशी है, के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग

ऑफिसर द्वारा ही प्राप्त किए जाकर कार्यवाही की जा सकेगी। रिटर्निंग ऑफिसर अपनी सहायता के लिए किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त कर सकता है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर नहीं है उसके द्वारा व्यक्तिगत प्रत्याशियों के द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे परन्तु उनके अध्यक्षता वाली MCMC कमेटी द्वारा अपने जिले में पेड–न्यूज की मोनिटरिंग एवं संवीक्षा की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कमेटी का गठन दिनांक 20 जुलाई, 2013 तक किया जाकर विभाग को सूचित करना सुनिश्चित करावें।

इस कमेटी का कार्य निर्वाचन के तिथियॉ घोषित होने के साथ ही प्रारम्भ होगा परन्तु इससे पूर्व नियमित पाक्षिक रूप से बैठकें आयोजित की जावें जिससे पेड न्यूज की मोनिटरिंग एवं विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के संबंध में आयोग के दिशानिर्देशों से सभी सदस्य वाकिफ हो सकें।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

D:\Election Data\Jt_CEO\Letter To Deos -Paid News Committee.Doc